



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2016—अग्रहायण 5, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. एफ 5-17-2015-उन्तीस-1.—चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है कि दालों के उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, अतएव आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित 5 एवं केन्द्र सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. 800, दिनांक 9 जून 1978 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—(i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) निरसन आदेश, 2016 है.

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(iii) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. **पूर्व प्रकाशित अधिसूचनाओं का निरसन और व्यावृत्ति.**—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दाल के व्यापार से संबंधित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रकाशित अधिसूचना एफ-5-17/2015/29-1, भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2015, अधिसूचना एफ-5-17/2015/उन्तीस-1, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 एवं अधिसूचना एफ-5-17/2015/उन्तीस-1, भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस निरसन का प्रभाव मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण दर्ज प्रकरणों एवं उनमें प्रचलित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.